International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 1, January 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अन्तर्जातीय विवाह के प्रभाव का मूल्यांकन/समीक्षा

Dr. Mohammad Kamil
M.A., Ph.D., UGC-NET (Sociology)

भारत में विवाह के क्षेत्र में अनेक विभिन्नताऐं पायी जाती हैं । प्रचीनकाल से ही यहाँ विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, प्रजातियों, भाषाओं एवं मतों से सम्बन्धित लोग रहते आये हैं, जिनकी प्रथाओं, रीति–रीवाजों, संस्कृतियों, संस्थाओं एवं जीवन दर्शन में भिन्नता पायी जाती है। इस भिन्नता से यहाँ की विवाह संस्था को भी प्रभावित किया है। भारत में विवाह के अनेक रूप जैसे एक–विवाह, वहुपति विवाह, द्वि–विवाह एवं बहुपत्नी विवाह आदि पाये जाते हैं। कुछ समाजों में विवाह को संस्कार माना गया है तो कुछ में एक सामाजिक एवं दीवानी समझौता।

विवाह का उदगम–

मानव समाज में विवाह की संस्था के प्रादुर्भाव के बारे में 19वीं शताब्दी में वेखोफन (1815–80 ई0), मोर्गन (1818–81 ई0) तथा मैकलीनान (1827–81 ई0) ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था कि मानव समाज की आदिम अवस्था में विवाह का कोई बन्धन नहीं था। सब नर–नारियों को यथेच्छ कामसुख का अधिकार था । महाभारत में पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को नियोग के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा न थी, स्त्री पुरूषों को यौन संबन्ध करने की पूरी स्वतंत्रता थी। कहा जाता है कि भारत में श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा स्थापित की। चीन, मिस्र, और यूनान के प्रचीन साहित्य में भी कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इनके आधार पर लार्ड एवबरी, फिसोन, हाविट, टेलर, स्पेंसर, जिलनकोव लेवस्की, लिय्यर्ट और शुर्त्स आदि पश्चिमी विद्वानों ने विवाह की आदिम दशा कामचार (प्रामिसकुइटी) की अवस्था मानी है। क्रोपाटकिन व्लाख और व्राफाल्ट ने प्रतिपादित किया कि प्रारंभिक कामचार की दशा के बाद बहुभार्यत (पोलीजिनी) या अनेक पत्तिनयाँ रखने की प्रथा विकसित हुई और इसके बाद अंत में एक ही नारी के साथ पाणिग्रहण करने (मोनोगेमी) का नियम प्रचलित हुआ।

विवाह क्या है ?

विवाह का शाव्दिक अर्थ है, 'उद्वह' अर्थात् वधु को वर के घर ले जाना।[1] विवाह को परिभाषित करते हुए लुसी मेयर लिखते हैं, ''स्त्री–पुरूष का ऐसा योग है, जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता–पिता की वैध संतान माना जाय।''[2] डब्ल्यू0एच0आर0 रिवर्स के अनुसार, ''जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबन्धों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संबा दी जा सकती है।''[3] वेस्टरमार्क के अनुसार, विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रीयों के साथ होने वाला वह संबन्ध है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है।''[4] बोगार्डस के शब्दों में, ''विवाह स्त्री और पुरूष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है।''[5] मजूमदार एवं मदान लिखते हैं, ''विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का सतावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन–क्रिया और उससे संबन्धित सामाजिक–अर्थिक संबन्धों में सम्मिलत होने का अधिकार प्रदान करती है।''[6]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री–पुरूषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना, संतानोंत्पत्ति करना तथा उनका लालन–पालन एवं सामाजिक करण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। विवाह के परिणामस्वरूप माता–पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दयित्वों का जन्म होता है।

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य अन्तर्जातीय विवाह से होने वाले लाभ को रेखांकित करना है। इससे पूर्व अन्तर्विर्वाह को जानना आवश्यक है –

अन्तर्विर्वाह –

आधुनिक दशकों में अन्तर्विवाह अधिक प्रचलित होता जा रहा है तथा चर्चा का विषय बनता जा रहा है । अन्तर्विवाह का तात्पर्य है दो विभिन्न संस्कृतियों या उप–सांस्कृतिक समूहों में सम्बद्ध स्त्री व पुरूष का विवाह । सांस्कृतिक समूह धार्मिक, प्रजातिय, नृजातिय, भाषाई, भौगोलिक आदि हो सकते हैं, जबकि उप–सांस्कृतिक समूह कैथोलिक व प्रोटेस्टेन्ट, या शिया व सुन्नी, या जातियां व उप–जातियां आदि हो सकते

हैं । डा0 रिवर्स लिखते हैं, ''उस विनिमय का जिससे अपने समूह में से विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है।''[7]

वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में द्विजों का (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) एक ही वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने में ही विवाह करते थे। शूद्र वर्ण प्रथक था । स्मृतिकाल में अन्तर्वर्ण विवाहों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन जब एक वर्ण कई जातियें एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित होता गया और लोग अपनी ही जाति एवं उप–जाति में विवाह करने लगे और इसे ही अन्तर्विवाह माना जाने लगा । कापाडिया ने वैश्यों की एक जाति 'बनिया' की कई उप–शाखाओं जैसे– लाड़, मोढ़, पोरवाड़, नागर, श्रीमाली आदि का उल्लेख किया है।

अन्तर्जातीय विवाहों में क्योंकि आत्मसातकरण तथा समायोजन जैसी समाजशास्त्रीय समस्याऐं खड़ी हो जाती है, उनकी चर्चा समाजशास्त्रीय विषय में आवश्यक हो जाती है । इस समस्या में दो प्रमुख विषय जो ध्यान आकर्षित करते हैं, वे हैं: अन्तर्जातीय विवाहों में कारण तत्व तथा दम्पत्ति और उनके बच्चों के लिए उस विवाह के परिणाम । दूसरे प्रमुख विषय में इस प्रकार के विवाहों के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाऐं एवं नये परिवार में समायोजन, यानि के अन्तर्जातीय विवाह वाले दम्पत्ति का व्यक्तिगत आदतों तथा सांस्कृतिक अनुकूलन के संदर्भ में समायोजन में सम्मिलित है ।

अन्तर्जातीय विवाह –

वैदिक युग में अन्तर–वर्ण विवाह प्रचलित थे किन्तु वे सभी अनुलोम विवाह के नियमों के द्वारा बँधे हुए थे । आठवीं सदी तक अन्तर्जातीय विवाहों की छूट थी किन्तु बाद में धीरे–धीरे इन पर कठोर नियन्त्रण लागू कर दिये गये। घुरिये का मत है कि अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध का मुख्य कारण रक्त की पवित्रता बनाये रखने की इच्छा, वैदिक संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थिर बनाये रखने की भावना, जन्म पर अधिक जोर देना, बाह्य आक्रमण से रक्षा, मुसलमानों एवं अन्य धर्मों से रक्षा आदि ही है।[8] धर्मशास्त्रों में अपनी जाती में विवाह को श्रेष्ठ बताया गया है। एक वर्ण का कई जातियों एवं उप–जातियों में विभाजन हो जाने से भी अपनी ही जाति में विवाह को उचित माना गया और अन्तर्जातीय विवाह को पाप

एवं अपराध माना गया, ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कार किया जाने लगा । अन्तर्जातीय विवाह से विवाह का दायरा बहुत सीमित हो गया ।

भारत में अनेक परिवर्तन आये तो विवाह संस्था भी अछूती न रही । विवाह के मूल्य बदले, जातीय नियमों में शिथिलता आयी और अन्तर्जातीय विवाह होने लगे । अन्तर्जातीय विवाहों को अग्रांकित कारकों ने प्रोत्साहन दिया है।

भारत में सबसे ज्यादा अन्तर्जातीय विवाह कहां होते हैं –

भारत में सबसे ज्यादा अन्तर्जातीय विवाह मिजोरम में होते हैं । नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के सर्वे से यह बात पता चलती है कि मिजोरम में 55 प्रतिशत शादियां अन्तर्जातीय होती है । एनसीएआईआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 95 प्रतिशत शादियां समान जाति में होती हैं । लेकिन मिजोरम इसका अपवाद है यहां की 87 प्रतिशत आबादी ईसाई है । अन्तर्जातीय विवाह के मामले में 46 प्रतिशत के साथ मेघालय दूसरे और 38 प्रतिशत के साथ सिक्किम तीसरे स्थान पर है । इंडियन हयूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह के मामले में जम्मू कश्मीर चौथे और गुजरात पांचवें स्थान पर है ।

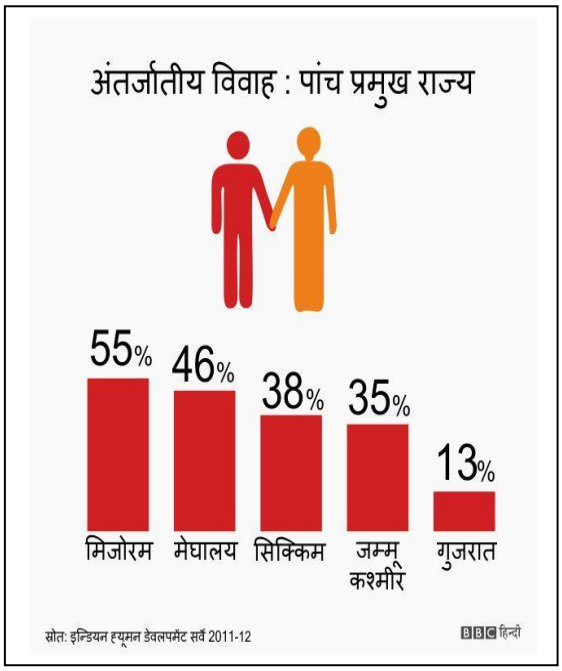

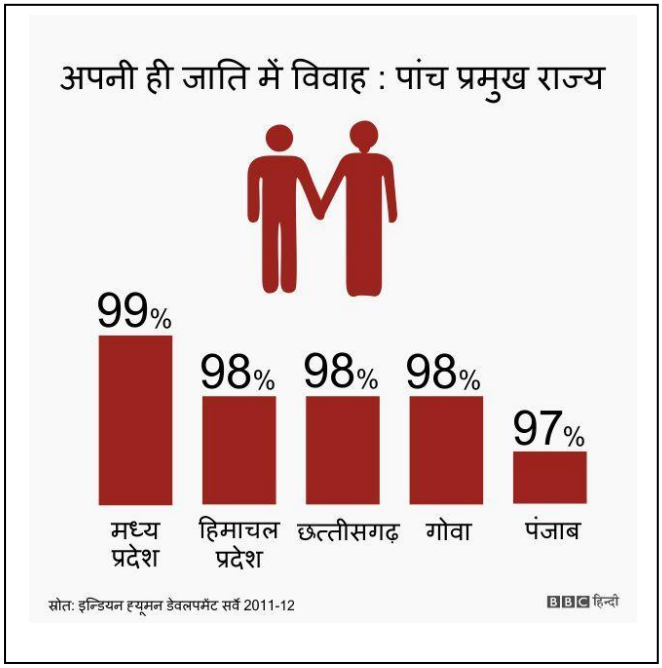

इस सवें में भारत के 33 राज्यों एवं क्रेन्द्र शासित प्रदेशों के कुल 41ए554 घरों को शामिल किया गया है । इस सवें से ये भी पता चला है कि भारत में एक ही जाति में सबसे ज्यादा शादी मध्य प्रदेश में होती है । मध्य प्रदेश में 99 प्रतिशत लोग अपनी ही

जाति में शादी करते है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 98 प्रतिशत शादियां समान जाति में होती है। वैसे भारत में कानूनी तौर पर लोग अन्तर्जातीय विवाह कर सकते है, इससे संबन्धित कानून देश में 50 साल से भी लंबे समय से लागू है ।

अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने वाले कारक –

(1) **पश्चात्य शिक्षा** – इसके कारण प्राचीन अन्ध–विश्वास समाप्त हुए, नवीन सामाजिक मूल्य पनपे, विभिन्न समूहों में सांस्कृतिक समानता पैदा हुई, वे निकट आये एवं परस्पर विवाह करने लगे ।

(2) **सह–शिक्षा** – सह–शिक्षा के कारण विभिन्न जातियों के युवक–युवतियों को निकट आने का अवसर मिला और उन्होनें जातिय बन्धन जोड़कर विवाह किया ।

(3) **छापाखाना तथा यातायात के साधन** – यातायात के नवीन साधनों ने सभी भौगोलिक एवं सामातिक दरी समाप्त की और लोगों में गतिशीलता बढ़ी । छापाखाने के अविष्कार से विभिन्न पुस्तकें पत्र–पत्रिकाऐं प्रकाशित हुई, जिन्होनें जातिय भेद–भाव को दूर करने में योग दिया ।

(4) **औघोगीकरण एवं नगरीकरण** – औघोगीकरण ने नगरीकरण को जन्म दिया । शहरों में विभिन्न जातियों के लोग एक ही उघोग में साथ–साथ काम करने लगे, इससे पारस्परिक समझ बढ़ी और जातीय कठोरता कम हुई ।

(5) **विज्ञान का प्रभाव** – नवीन वैज्ञानिक खोजों ने यह बताया की शुद्ध रक्त जैसी कोई चीज नहीं है, इससें रक्त की शुद्धता के आधार पर ऊँच–नीच का भेद मिटा साथ ही विज्ञान के वर्णसंकर सन्तान को गुणयुक्त माना, इससें भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला।

(6) **समानता का सिद्धान्त** – प्रजातंत्र में जाति, संस्कृति, रंग, लिंग, जन्म, धर्म के भेद के स्थान पर समानता को अधिक महत्व दिया जाता है, इससे भी जातीय भेद–भाव की भवना समाप्त हुई है । इससें भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला।

(7) **राष्ट्रीय आन्दोलन** – स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जातियों के लोगों ने सभी प्रकार के भेद–भाव भुलाकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, उनमें भाई–चारे की भावना पनपी और वे पसस्पर निकट आये । इससें भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला।

(8) **स्त्री–स्वतन्त्रता** – शिक्षा ने स्त्रियों को प्रचीन बन्धनों से मुक्त किया, वे घर की चार दीवारी से बाहर आयीं और अपने जीवन साथी का चुनाव स्वंय करने लगी ।

(9) **सुधार आन्दोलन** – ब्रह्म समाज आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना–समाज आदि ने जाति भेदभाव एवं छुआछूत को दूर करने के प्रयत्न किये, उन्होनें भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया ।

(10) **दहेज–प्रथा** – दहेज की अत्यधिक मांग ने भी लोगों को अपनी जाति से बाहर जीवन–साथी खोजने को प्रेरित किया ।

(11) **प्रेम विवाह** – प्रेम–विवाह ने भी जातीय बन्धनों को अस्वीकार किया ।

(12) **आवासीय सामीप्य** – एक ही स्थान और पड़ौस में आवास होने के कारण विवाह पूर्व–सम्पर्क सुविधाजनक हो जाते हैं और कभी–कभी धीरे–धीरे वे सम्बन्ध विवाह में भी परिवर्तित हो जाते है ।

(13) **सांसकृतिक समानता** – दो विभिन्न जातियों व उपजातियों के व्यक्ति जिनमें कुछ समानताएं होती हैं, परस्पर विवाह कर लेती हैं, उदाहरणार्थ, राजपूतों में राठौर तथा परमार ।

(14) **संस्थातमक नियन्त्रण की प्रभावहीनता** – धर्म, राज्य तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के कमजोर होने के कारण प्रतिबन्धों में कमी आ जाती है और अन्तर्विवाह की संभावना बढ़ जाती है । उदाहरणार्थ 1949 का विवाह वैधता अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम, 1954, या उच्च व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि ने परम्परागत संस्थोओं के नियन्त्रण के प्रति युवा वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया है । सरल सामाजिक सम्पर्कों तथा संस्कृति के सामान्य संकेतों के कारण परम्परागत नियन्त्रण के निषेधात्मक प्रथाव का प्रतिवाद होता जा रहा है । यह भी कहा जा सकता है कि लोक रीतियों की कठोरता या नरमी से ही अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

(14) **पारिवारिक नियन्त्रण से मुक्ति** – किशोरोत्तर और विवाह पूर्व के वर्ष माता पिता के रूढ़िवादी आदर्शों के विरूद्ध विद्रोह के वर्ष माने जाते हैं । यह विद्रोह पीढ़ीयों के बीच दूरी तथा शिक्षा और अर्थव्यवस्था से चहारदीवारी या सीमा के बाहर के और धर्मनिरपेक्ष अनुभवों की प्राप्ति के कारण परिवार नियन्त्रण से मुक्ति से पनपता है और अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल होता है ।

(15) **स्व–घृणा** – अल्पसंख्यक समूहों के बहुत से सदस्यों को अपने से घृणा को भाव तथा सामाजिक गतिशीलता की इच्छा से बाह्य समूह में विवाह की प्रेरणा मिलती है ।

अन्तर्जातीय विवाह के लाभ –

घुरिये लिखते हैं, ''विभिन्न संबन्धों को दृढ़ करने और राष्ट्रीयताओं के पोषण के लिए अन्तर्जातीय विवाह द्वारा रक्त का प्रभावशाली साधन है ।''[9] इसके लाभ निम्नलिखित है–

(1) **जातिवाद की समाप्ति** – घुरिये कहते है कि अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा जाति प्रथा उपेक्षित होती है, इससे जाति विहीन वातावरण पनपेगा और ऐसी पाढ़ी का पोषण होगा जो जाति–प्रथा की कट्टर विरोधी होगी।[10]

(2) **सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता** – भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, सम्प्रदायों, जातियों एवं भाषाभाषियों के लोग निवास करते हैं । कई बार इनमें परस्पर संघर्ष हुए और इससे राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुँची है । सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में अन्तर्जातीय विवाह सहायक होगें ।

(3) **दहेज से मुक्ति** – अनपी ही जाति में विवाह करने के कारण दहेज की माँग बढ़ जाती है। अन्तर्जातीय विवाह से विवाह का दायरा बढ़ेगा व दहेज प्रथा समाप्त होगी ।

(4) **उत्तम वंशानुक्रमण** – अपनी ही जाति में विवाह करने से वंशानुक्रमण के गुणों में कमी आ जाती है, अन्तर्जातीय विवाह से उत्तम सन्तानें प्राप्त होती है ।

(5) **विधवा विवाह एवं वाल विवाह की समस्या का समाधन** – अन्तर्जातीय विवाह होने पर विवाह का दायरा विस्तृत हो जाएगा, विधवाओं को भी वर प्राप्त हो सकेंगे एवं ऐसे विवाह लड़के–लड़कियों की स्वयं की इच्छा से होने पर बाल–विवाह समाप्त हो जायेगें ।

(6) **योग्य जीवन साथी** – अन्तर्जातीय विवाह के कारण जीवन–साथी की खोज केवल जाति तक ही सीमित नहीं रहेगी वरन् दूसरी जाति के योग्य व्यक्ति से भी विवाह हो सकेगा ।

(7) **जनसंख्या की समस्या का हल** – यह भारत की एक ज्वलन्त समस्यष है इसका एक कारण बाल–विवाह है । अन्तर्जातीय विवाह से बाल–विवाह कम हो जायेगें एवं अधिक सन्तानोपत्ति नहीं हो पायगी ।

उपर्युक्त लाभों के कारण ही आज अन्तर्जातीय विवाहों को सभी वगों के लोगों द्वारा स्वीकृति मिलने लगी है किन्तु विरोधियों का मत है कि ऐसे विवाह से दम्पत्ति अपने समाज व जाति से कट जाते हैं और उन्हें समूह के लोग कोई साहयता नहीं देते ।

अन्तर्जातीय विवाह को अधिक प्रोत्साहन न मिलने के कई कारण हैं –

- रक्त शुद्धता की गलत धारणा,
- प्रत्येक जाति द्वारा अपने व्यावसायिक ज्ञान की गुप्तता को अपनी जाति तक ही सीमित रखने की भावना,
- जाति की उत्पत्ति को ईश्वरीय देन मानना,
- विभिन्न जातियों में पायी जाने वाली सांस्कृतिक भिन्नता,
- जाति पंचायत द्वारा कठोर दण्ड दिये जाने का भय,
- रूढ़िवादिता, अशिक्षा एवं अज्ञान,
- अन्तर्जातीय विवाह करने पर दहेज न मिलना आदि ।

इतना होने पर भी शिक्षा के प्रकार, औघोगिकरण, नगरीकरण एवं नवीन सामाजिक विधानों के ज्ञान एवं वृद्धि के साथ–साथ इस प्रकार के विवाहों में वृद्धि हुई है ।

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति बदलते दृष्टिकोण –

जाति व्यवस्था में परिवर्तन, शिक्षा के विस्तार, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन, व्यावसायिक गतिशीलता, स्त्रीयों की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, नगरीकरण तथा औघोगिकरण आदि कारणों से 1940 के बाद अन्तर्जातीय विवाह के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है । व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में यह परिवर्तन अनेक आनुभाविक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है ।

सन्दर्भ-ग्रन्थ

1. उद्वाहतत्त्व–तेन भार्यात्व सम्पादकं ग्रहणं विवाहः । मनुस्मृति, 3ध्20.
2. लूसी मेयर, सामाजिक नृ–विज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद पृ0 90.
3. डब्ल्यू0 एच0 आर0 रिवर्स, सामाजिक संगठन, हिन्दी अनुवाद, पृ029.
4- Westermark, The History of Human Marriage, Vol. I. p. 26.
5- E.S. Bogardus, Socilogy, 1957, p. 75.
6- Majumdar and Madan, An Introduction to Social-Anthropology, p. 79.
7. डा0 डब्ल्यू0 एच0 आर0 रिवर्स, सामाजिक संगठन, पृ032.
8- G.S. Ghurye, Cast, Class and Occupation, pp. 174-175.
9- G.S. Ghurye, op, cit., p. 323
10- Ibid, p. 236.